



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात

दिनांक- 05.02.2026

- थाना रनियां जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 896 क्वार्टर अवैध देशी शराब (कीमत लगभग ₹ 1,00,000/-) को किया गया बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रनियां पुलिस द्वारा दिनांक 05.02.2026 को रायपुर गजनेर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग व तलाशी के दौरान सचेष्टी कानपुर नगर हाइवे की तरफ से सर्विस रोड पर आ रही गाड़ी वैगन आर न0 UP78DU2740 से 20 पेटी अवैध देशी शराब (कुल 896 क्वार्टर अनुमानित कीमत लगभग ₹ 1,00,000/-) के साथ 03 अभियुक्तों 1. विनोद गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी 176/3 जूही लाल कालोनी थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 42 वर्ष, 2. मुकेश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट तिलसडा थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 35 वर्ष, 3. अविनाश शिवहरे पुत्र जमुना प्रसाद शिवहरे निवासी आई 362 विश्व बैंक बर्ग थाना बर्ग जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रनियां पर मु0अ0सं0-022/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. विनोद गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता उम्र करीब 42 वर्ष निवासी 176/3 जूही लाल कालोनी थाना किदवई नगर कानपुर नगर।
2. मुकेश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट तिलसडा थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।
3. अविनाश शिवहरे पुत्र जमुना प्रसाद शिवहरे उम्र करीब 30 वर्ष निवासी आई 362 विश्व बैंक बर्ग थाना बर्ग जिला कानपुर नगर।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण

1. 20 पेटी कुल 896 क्वार्टर अवैध देशी शराब (अनुमानित कीमत ₹ 1,00,000/-)
2. गाड़ी वैगन आर न0 UP78DU2740 (एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तारी करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवनारायण द्विवेदी
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार पाल
3. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
4. हे0का0 10 संजय सिंह
5. हे0का0 267 सत्येन्द्र सिंह